

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0-3 / अ0प्र0-1-59 / 2018

/ पटना, दिनांक—

योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक—2106 दिनांक—26.04.2018 द्वारा श्री अक्षयवर राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल—01, मधेपुरा के विरुद्ध शंकरपुर प्रखंड, ग्राम पंचायत, मौरा कबियाही वार्ड नं0—9 में श्री ददन यादव, मौर खापा के घर से पंककी सड़क से मौरा खाप विद्यालय के तक सड़क जानेवाली सड़क में पी0सी0सी0 ढ़लाई निर्माण योजना में अनियमितता बरतने जाने से संबंधित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्री अक्षयवर राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल—01, मधेपुरा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। अतएव श्री राम के विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार पेंशन नियमावली—43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री श्रीप्रकाश, मुख्य अभियंता—2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री अक्षयवर राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल—01, मधेपुरा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवसों के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

इ. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यप्राल के आदेश से

१५/११२५  
(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :—3 / अ0प्र0-1-59 / 2018

/ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि—आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री श्रीप्रकाश, मुख्य अभियंता—2—सह—संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलंब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जाय तथा 45 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में एवं कार्यवाही/अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

अवर सचिव  
१५/११२५  
१३/०४/२०१८

२०२४/०६/०९

अवर सचिव


(6)

ज्ञापांक :—3 / अ०प्र०—१—१२७ / २०२२

/ पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपि:—आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मुख्य अभियंता—४ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०—यथोक्त।

  
अवर सचिव

ज्ञापांक :—3 / अ०प्र०—१—१२७ / २०२२

/ पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपि:— आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अक्षयवर राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल—०१, मधेपुरा, वर्तमान पता:—इन्द्रनारायण कॉलोनी, रोड नं०—१ नियर पारडीह, चौकपोस्ट—पारडीह, थाना, आजादनगर, जिला—पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (झारखण्ड), पिन—८३१०२०, मो० नं०—९९३१५७१३८३ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०—यथोक्त।

  
अवर सचिव


ज्ञापांक :—3 / अ०प्र०—१—१२७ / २०२२

323

/ पटना, दिनांकः—

5-२-२५

प्रतिलिपि:— विभागीय आइ०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—५ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव

५०८  
५०८/२०२४